

मध्यप्रदेश शासन  
गृह विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आदेश //

भोपाल, दि. 17.06.2016

क्रमांक एफ 1-61/2016/ब-2/दो, राज्य शासन द्वारा श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे (आर.आर. 1983), अध्यक्ष, मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. पैरा 01 में वर्णित अधिकारी द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भापुसे (वेतन) नियम 2007 के नियम-11 के अंतर्गत असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II-क के अंतर्गत महानिदेशक के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अजय शर्मा)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पू.क्रमांक एफ 1-61/2016/ब-2/दो  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दि. 17.06.2016

01. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
  02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल ।
  03. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
  04. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
  05. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  06. सचिव, लोकायुक्त संगठन, म.प्र., भोपाल ।
  07. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  08. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  09. विशेष सहायक, मान. मंत्री, गृह, मंत्रालय, भोपाल ।
  10. अपर मुख्य सचिव, गृह के स्टॉफ आफिसर ।
  11. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
  12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, वल्लभ भवन, भोपाल ।
  13. श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे (आर.आर.1983), अध्यक्ष, मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन, भोपाल ।
  14. गृह विभाग, कक्ष ब-2, लेखा ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
गृह विभाग